न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी	–	जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग).
दीवानी वाद संख्या	–	15/2019.
सी.आई.एस. नंबर	–	19/2019.
सी.एन.आर. नंबर	–	आर.जे.ए.जे.130005332019.

विकास कुमार माहेश्वरी आयु 43 वर्ष पुत्र श्री शिवचरण माहेश्वरी, निवासी मंगल विहार कालोनी सापण्दा रोड़ केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर (राज.).

..वादी.

ब ना म

करूण टांक पुत्र श्री कृष्णकान्त टांक, निवासी मकान नंबर–97, बालाजी नगर, वैशालीनगर, अजमेर (राज.).

..प्रतिवादी.

वादपत्र बाबत् वसूली राशि.

उपस्थितिः–
1. श्री शैलेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता वादी.
2. श्री नितिन जोशी, अधिवक्ता, प्रतिवादी.

–––––––

– नि र्ण य – **दिनांकः 11 मई 2026.**

01– वादी की ओर से एक वादपत्र दिनांक 31–08–2019 को बाबत् वसूली राशि विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादी आपस में परिचित हैं। वादी से प्रतिवादी ने दिनांक 06–06–2014 को तीन वर्ष की अवधि हेतु 5,00,000/–रूपए अक्षरे पांच लाख रूपए उधार लिए थे व उक्त उधार ली गई राशि पर प्रतिवादी ने 12 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज देना तय किया था। वादी ने उक्त दिनांक को उक्त राशि स्वयं के खाता संख्या–6836014101281 के चैक संख्या–105464 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा केकड़ी के जरिए उधार दी थी तथा जो राशि प्रतिवादी के खाते में प्राप्त हो चुकी है। उक्त उधार ली गई राशि पर प्रतिवादी ने वादी को माह जून 2015 तक के

60,000/–रूपए, माह जून 2016 तक के 60,000/–रूपए, माह जून 2017 तक के 60,000/–रूपए इस प्रकार कुल ब्याज की राशि 1,80,000/–रूपए वादी को अदा कर दिए हैं तथा माह जून 2017 में उक्त मूल राशि 5,00,000/–रूपए अदा नहीं कर यह आश्वासन दिया कि अभी रकम का इंतजाम नहीं है, इस कारण कुछ समय बाद अदा कर देगा।

02– वादपत्र में यह भी अभिवचन किया कि प्रतिवादी द्वारा उक्त उधार ली गई राशि 5,00,000/–रूपए व उस पर दिनांक 18–02–2019 तक देय ब्याज की राशि 95,000/–रूपए वसूली बाबत् जरिए अधिवक्ता एक विधिक नोटिस प्रतिवादी के सही पते पर प्रेषित किया था, जो प्रतिवादी को प्राप्त हो चुका है, किन्तु प्रतिवादी ने आज दिनांक तक उक्त उधार दी गई मूल राशि व उस पर देय ब्याज अदा नहीं की है। वादी, प्रतिवादी से मूल राशि 5,00,000/–रूपए व उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से माह जून 2017 से माह जुलाई 2019 तक कुल 25 माह का ब्याज 1,25,000/–रूपए कुल राशि 6,25,000/–रूपए वसूल पाने का अधिकारी है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 18–02–2019 को वादी ने जरिए अधिवक्ता एक विधिक नोटिस दिया, जिस पर भी प्रतिवादी ने रकम अदा नहीं की, जिससे वाद कारण दिन–प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। वादपत्र पर्याप्त न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय को वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादपत्र प्रस्तुत कर अन्त में निवेदन किया कि वादी को प्रतिवादी से उक्त उधार ली गई राशि मय ब्याज 6,25,000/–रूपए दिलवाई जावे। वादपत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

03– **प्रतिवादी** की ओर से उक्त वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावे में अभिवचन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित नाम करूण टांक पुत्र श्री प्रकाशचन्द टांक प्रतिवादी का सही एवं समुचित नाम नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी के पिता का नाम प्रकाशचन्द टांक नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज होने योग्य है, क्योंकि कामर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 में वर्णित प्रावधान अनुसार उक्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय विशिष्ट जज कामर्शियल एक्ट को है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। वादी द्वारा ऋण दिए जाने एवं ब्याज प्राप्त किए जाने हेतु किसी प्रकार का विधिक अधिकार होने संबंधी कोई लाईसेन्स, अनुमति आदि होने के ना तो कथन किए हैं, ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादी द्वारा कोई भी राशि वादी से कभी भी उधार प्राप्त नहीं की है तथा ना ही वादी ने कभी कोई राशि प्रतिवादी को उधार दी है। वादी को उसकी निजी आवश्यकता के लिए उधार राशि की आवश्यकता होने से प्रतिवादी से वादी ने विभिन्न समय पर राशि उधार प्राप्त की थी, जिसके भुगतान के एवज में उक्त कथित चैक वादी द्वारा जारी

किया गया था, जो विधिक दायित्व के अन्तर्गत भुगतान हेतु जारी किया गया है, जो एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित उपधारणा अनुसार भी स्वतः प्रमाणित है।

04– जवाबदावे में यह भी अभिवचन किया कि वादी द्वारा उक्त तथाकथित नोटिस प्रतिवादी को भेजा गया कोई नोटिस प्रतिवादी को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। वादी को कोई वाद कारण कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अतिरिक्त कथन में अभिवचन किया कि वादी का प्रकरण मियाद बाहर है तथा वादी द्वारा केवल मात्र क्लेवर ड्राफटिंग के अन्तर्गत बिना किसी विधिक वाद कारण के मियाद बाहर एवं बिना किसी दस्तावेजों के केवल प्रतिवादी को हैरान, परेशान करने के लिए विधि के प्रावधानों का दुरूपयोग कर वाद प्रस्तुत किया है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। जवाब के समर्थन में प्रतिवादी का शपथ पत्र संलग्न है।

05– पक्षकारान् के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10–02–2026 को निम्नांकित विवाद्यक विरचित किए गएः–

1. आया वादी, प्रतिवादी से उधार ली गई राशि 5,00,000/–रूपए (अक्षरे पांच लाख रूपए) उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से माह जून 2017 से जुलाई 2019 तक कुल 25 माह का ब्याज 1,25,000/–रूपए (अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपए) कुल राशि 6,25,000/–रूपए (छः लाख पच्चीस हजार रूपए) प्राप्त करने का अधिकारी है ?
2. आया वादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्रतिवादी को प्रस्तुत नहीं होने से वाद काबिले खारिज योग्य है ?
3. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर है ?
4. अनुतोष ?

06– उक्त विवाद्यकों के समर्थन में वादिया की ओर से निम्न मौखिक साक्ष्य पेश की गई।

साक्षी कमांक	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	विकास कुमार माहेश्वरी	वादी.

07– वादिया की ओर से वादपत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज पेश किए गए।

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श–01	अकाउण्ट स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति.

प्रदर्श–02	विधिक नोटिस.
प्रदर्श–03	पोस्टल रसीद.

08– प्रतिवादीगण की ओर से निम्न मौखिक साक्ष्य पेश की गई।

साक्षी कमांक	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
DW-01	करूण टांक	प्रतिवादी.

09– प्रतिवादी की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया।

10– बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विरचित विवाद्यकों का विवेचन व निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

<u>**विवाद्यक संख्या 1–**</u>

1. आया वादी, प्रतिवादी से उधार ली गई राशि 5,00,000/–रूपए (अक्षरे पांच लाख रूपए) उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से माह जून 2017 से जुलाई 2019 तक कुल 25 माह का ब्याज 1,25,000/–रूपए (अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपए) कुल राशि 6,25,000/–रूपए (छः लाख पच्चीस हजार रूपए) प्राप्त करने का अधिकारी है ?

11– उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। **विद्वान अधिवक्ता वादी** की ओर से बहस के दौरान तर्क दिया कि वादी द्वारा प्रतिवादी को पांच लाख रूपए की राशि उधार दी थी तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि तीन वर्ष के बाद लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि नहीं लौटाई जाने पर वादी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादी के पंजीकृत पते पर भेजा गया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही उक्त राशि लौटाई गई, तत्पश्चात् वादी द्वारा नोटिस दिया गया, जो उसे प्राप्त हो गया था। प्रतिवादी द्वारा पांच लाख रूपए की राशि प्राप्त करने की स्वीकृति है।

12– इसके विपरीत **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि वादी मनी लाड्रिंग का काम करता है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी से पांच लाख रूपए की राशि ढाई–ढाई लाख रूपए देकर अदा कर दिए थे। वादी द्वारा प्रतिवादी को उधार दी गई राशि के संबंध में कोई लिखावट नहीं लिखी गई है। वादी द्वारा प्रतिवादी को उधार दी गई राशि आर.टी.जी.एस. से देना बताया है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 में राशि ट्रांसफर से होना दर्शित है। वादी स्वयं को ही

पता नहीं है कि उसके द्वारा पांच लाख रूपए की राशि किस प्रकार से प्रतिवादी को दी गई।

13– वादी की ओर से जो साक्ष्य आई है, उस पर विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 विकास कुमार** ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को अपने साक्ष्य शपथ पत्र में दोहराया तथा **प्रतिवादी की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मैंने कथित लोन के संबंध में कोई लिखापढ़ी या एग्रीमेन्ट पेश नहीं किया, गवाह ने फिर कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सम्पूर्ण राशि मेरे बैंक खाते से करूण टांक के खाते में दी थी, जो अपने आपमें लोन की सत्यता प्रमाणित करता है। यह सही है कि सामान्यतः खाते में हुए सभी लेनदेन ऋण पेटे ही हो, आवश्यक नहीं है, गवाह ने फिर कहा कि बीस हजार रूपए से बड़ा कोई भी लेनदेन जो कि देने वाले के व्यय के रूप में हो, आयकर अधिनियम में अनुमत नहीं है। मैं खुद सी.ए. हूं तो बीस हजार रूपए से बड़ी राशि मेरे किसी व्यय का भुगतान करने के संदर्भ में नहीं दूंगा, इसलिए मैंने पांच लाख रूपए की राशि चैक से नहीं देकर करूण के कहने पर आनलाईन आर.टी.जी.एस. से दी थी। यह सही है कि प्रदर्श–1 में यह अंकित नहीं है कि पेमेन्ट आर.टी.जी.एस. या एन.एफ.टी.एस. से किया गया हो, गवाह ने फिर कहा कि प्रकरण सन् 2014 का है, इसलिए पूर्णतः जानकारी नहीं है कि उस समय राशि आर.टी.जी.एस. या ट्रांसफर से दी थी। मेरे रिटर्न में करूण टांक के नाम से पांच लाख रूपए देने का कोई अंकन नहीं है, गवाह ने फिर कहा कि आयकर रिटर्न में नाम डालने का सिस्टम नहीं है, किन्तु राशि डालने का सिस्टम है। मेरे चचैरे भाई नवीन तथा करूण टांक से उसके व्यापारिक रिश्ते हैं।

14– **गवाह ने जिरह में** यह भी कथन किया कि मैं नवीन के घर पर करूण टांक से मिला था। मैंने आज दिनांक तक 30–40 लोगों को उधार राशि दी है तथा वापस प्राप्त किए हैं। यह सही है कि प्रतिवादी करूण को उधार दी गई राशि के पेटे 12 प्रतिशत ब्याज के संबंध में कोई लिखापढ़ी नहीं हुई, गवाह ने फिर कहा कि फोन पर बात हुई थी। यह सही है कि मैंने वादपत्र व शपथ पत्र में अंकित चैक का अंकन किया है, लेकिन चैक पत्रावली पर पेश नहीं है तथा पोस्टल रसीद प्रदर्श–3 की कोई पावति रसीद या ट्रेक रेकार्ड पेश नहीं किया है। यह सही है कि वादपत्र व शपथ पत्र में मैंने जो ऋण देना बताया है, उसके बाबत् कोई समय, स्थान, दिनांक अंकित नहीं है, गवाह ने फिर कहा कि मैंने करूण को पैसा बैंक के माध्यम से दिया, जिसके बैंक स्टेटमेन्ट में समय, स्थान व दिनांक अंकित है तथा ब्याज की राशि करूण ने फोन पर बात होने के बाद अपने आदमी के साथ केकड़ी भिजवाई थी तथा उक्त बात का अंकन वादपत्र व शपथ पत्र में नहीं है। मेरे पास उधार राशि देने बाबत् कोई लाईसेन्स नहीं है, गवाह ने फिर कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे मकान के निर्माण हेतु आई सामग्री का खर्चा करूण टांक ने उठाया था तथा मेरे लिए करूण टांक ने मकान के निर्माण के लिए खर्चा/भुगतान किया हो, जिसकी राशि मेरे पर बकाया हो, इसलिए दावा किया हो, गवाह ने फिर कहा कि मेरे मकान का निर्माण सन् 2016 में आरम्भ हुआ था। यह कहना गलत है

कि मैंने किसी प्रकार की राशि करूण को उधार नहीं दी हो और मैंने जो ब्याज का भुगतान करने का कथन किया है, वह गलत हो और करूण टांक से उधार दी गई राशि व ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूं।

15– वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादी ने स्वयं के खाते का बैंक स्टेटमेन्ट प्रदर्श–1 पेश किया है, जिसके ए से बी भाग में दिनांक 06–06–2014 को पांच लाख रूपए करूण को ट्रांसफर किया जाना अंकित है।

16– प्रतिवादी की ओर से जो साक्ष्य आई है, उस पर विचार किया जावे तो **गवाह डी.ड.–1 करूण टांक** ने जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को अपने साक्ष्य शपथ पत्र में दोहराया तथा **वादी की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैं नवीन माहेश्वरी व विकास माहेश्वरी दोनों को जानता हूं। यह सही हैकि दिनांक 06–06–2014 को पांच लाख रूपए विकास माहेश्वरी के बैंक खाते से मेरे खाते में ट्रांसफर हुए थे, फिर कहा कि मैंने विकास माहेश्वरी को पैसे उधार दिए थे, जो प्राप्त हुए थे। मैंने उक्त राशि वादी को मई 2014 में उधार दी थी, तारीख याद नहीं है। नवीन माहेश्वरी जब आफिस आया था, तब कहा कि पैसे उधार की जरूरत है तो मैंने दो बार ढाई–ढाई लाख रूपए नकद दिए थे, बदले में पर्ची भी लिखकर देकर गया था। उक्त रकम देते समय हम दोनों के अलावा आफिस में और कोई नहीं था। उक्त दोनों पर्चियां जो वादी ने मुझको लिखकर दी, वे दोनों जब वादी ने मुझे चैक किया, तब वापस ले गया था। यह सही हैकि विकास माहेश्वरी ने मेरे से उधार लिया हो तथा वापस चैक से लौटा दिया हो, उसके बाद मेरे खिलाफ यह झूठा दावा किया हो, इस संबंध में मैंने कोई अन्य कार्यवाही पुलिस या कोर्ट में नहीं की। मैंने उक्त पर्चियों की फोटोप्रति भी नहीं रखी। मैंने आज दिनांक तक विकास माहेश्वरी द्वारा पैसे देने के बाद जो न्यायालय में कार्यवाही की है, इस संबंध में कोई विधिक नोटिस नहीं दिया। मैंने विकास को उधार राशि दी थी, जिसका उसने मुझे भुगतान किया था, उसके बाद झूठा दावा मेरे खिलाफ प्रस्तुत किया, लेकिन उस दावे के विरूद्ध भी मैंने कोई विधिक नोटिस या कार्यवाही नहीं की। यह सही है कि मेरे जवाबदावे में दो बार ढाई–ढाई लाख रूपए उधार देना अंकित नहीं है, फिर कहा कि विभिन्न समय में पैसे उधार देना मेरे जवाबदावे में अंकित है।

17– **गवाह ने जिरह में** यह भी कथन किया कि मैंने ढाई–ढाई लाख रूपए अलग–अलग दिन उधार दिए थे। उक्त दोनों राशियों के मध्य 05 से 07 दिन का अंतर था। यह सही हैकि मेरे जवाबदावे में राशि किस माह व वर्ष में उधार दी, उसका अंकन नहीं है तथा विकास माहेश्वरी दो पर्चियां मुझे देकर गया था, इसका भी अंकन जवाबदावे में नहीं है। मैं वर्ष 2014 से आयकर विवरणिका भरता हूं। मेरी फर्म पवन स्टील का हिसाब–किताब लिखित में मेन्टेन करता हूं तथा आई.टी.आर. भी भरता हूं। यह सही है कि मई 2014 में मेरे पास पांच लाख रूपए उधार देने की

आर्थिक क्षमता हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैंने विकास माहेश्वरी से दिनांक 06–06–2014 को पांच लाख रूपए उधार तीन वर्ष की अवधि हेतु लिए हों। यह कहना गलत है कि उक्त राशि के ब्याज पेटे साठ हजार रूपए तीन बार में विकास माहेश्वरी को अदा किए हों, फिर कहा कि मैंने तो कोई राशि उधार नहीं ली तो ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं है। यह सही है कि मैंने ढाई–ढाई लाख रूपए दो बार विकास माहेश्वरी को उधार देना बताया, उस बाबत् मैंने कोई स्टाम्प या लिखापढ़ी नहीं की। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान दे रहा हूं।

18– वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी ने प्रतिवादी को पांच लाख रूपए उधार दिए थे तथा उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तय किया गया था। प्रतिवादी इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि विकास के बैंक से दिनांक 06–06–2014 को पांच लाख रूपए उसके खाते में प्राप्त हुए हैं, फिर कहा कि मैंने विकास को पैसे उधार दिए थे, जो प्राप्त हुए थे। मुझे याद नहीं है कि किस तारीख को मैंने उक्त राशि उधार वादी को दी, मई 2014 में उधार दिए थे तथा मैंने ढाई–ढाई लाख दो बार नकद उधार दिए थे तथा वादी ने पर्ची लिखकर दी थी, किन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई सुदृढ़ दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए, जो यह दर्शित कर सके कि प्रतिवादी ने वादी को राशि उधार दी हो, जिसके पेटे वादी ने प्रतिवादी को पांच लाख रूपए की राशि उसके खाते में जमा कराई हो, जबकि वादी द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित किया है कि वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 06–06–2014 को पांच लाख रूपए राशि उधार दी थी। अतः वादी अपनी साक्ष्य से इस विवाद्यक को साबित करने में सफल रहा है। अतः यह विवाद्यक वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–2</u>

2. आया वादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्रतिवादी को प्रस्तुत नहीं होने से वाद काबिले खारिज योग्य है ?

19– उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर है। इस संबंध में **अधिवक्ता प्रतिवादी** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि वादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्रदर्श–2 प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हुआ है तथा वादी, प्रतिवादी की कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकता, न ही वादी द्वारा प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त हो गया हो, इस संबंध में कोई ट्रेक रेकार्ड पेश किया है। इसके विपरीत **अधिवक्ता वादी** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि वादी द्वारा नोटिस प्रतिवादी के पंजीकृत पते पर दिया गया है, जिसकी रसीद प्रदर्श–3 है तथा धारा 27 जनरल क्लाजेज एक्ट के तहत यदि पक्षकार को उसके पंजीकृत पते पर नोटिस प्रेषित किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसे नोटिस प्राप्त हो गया है।

20– इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादी की ओर से जो साक्ष्य आई है, उस पर विचार किया जावे तो **गवाह डी.ड.–1 करूण टांक** ने वादी द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि नोटिस प्रदर्श–2 में सी से डी मेरा पता लिखा है तथा मेरे मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में सी से डी भाग में जो पता लिखा है, वह पता समान है। प्रदर्श–2 नोटिस मुझे प्राप्त नहीं हुआ तथा मुझे आज दिनांक तक उसकी जानकारी नहीं है। मैंने जब जवाबदावा दिनांक 10–02–2026 को पेश किया, तब मुझे प्रदर्श–2 की जानकारी नहीं थ्झी। वादी की ओर से जो साक्ष्य आई है, उस पर विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 विकास माहेश्वरी** ने साक्ष्य दी है कि प्रतिवादी द्वारा उधार ली गई राशि पांच लाख रूपए व उस पर ब्याज की वसूली हेतु जरिए अधिवक्ता एक विधिक नोटिस प्रतिवादी के सही पते पर प्रेषित किया गया, जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया था, किन्तु आज दिनांक तक उक्त राशि मय ब्याज अदा नहीं की गई है तथा **प्रतिवादी की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श–2 नोटिस पर जवाब नोटिस अंकित है, गवाह ने फिर कहा कि टंकण त्रुटि है, नोटिस ही है। पोस्टल रसीद प्रदर्श–3 पर करूण का पूर्ण पता अंकित नहीं है, गवाह ने फिर कहा कि पोस्टल रसीद पर संक्षिप्त में ही पता अंकित किया जाता है।

21– वादी द्वारा प्रतिवादी को नोटिस प्रदर्श–2 भेजा गया है, जिसमें मूल राशि पांच लाख रूपए मय ब्याज देना तय किया गया था, जो प्रतिवादी द्वारा अदा नहीं किए गए हैं। पोस्टल रसीद प्रदर्श–3 है। नोटिस प्रदर्श–2 में करूण टांक का पता 97, बालाजी नगर, वैशालीनगर, अजमेर अंकित किया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा पेश साक्ष्य शपथ पत्र में सी से डी भाग में ''मकान नंबर–97, बालाजी नगर, वैशालीनगर, अजमेर'' अंकित किया गया है, जिसे प्रतिवादी ने एक समान होना बताया है। धारा 27 जनरल क्लाजेज एक्ट के तहत यदि पंजीकृत पते पर डाक प्रेषित की जाती है तो यह माना जाएगा कि नोटिस उसे प्राप्त हो गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा वादी को ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है कि उक्त पते पर उसे डाक प्राप्त नहीं होती हो। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्रदर्श–2 प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हुआ हो। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादी के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–3

3. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर है ?

22– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया कि वादी का कथन कि उसके द्वारा प्रतिवादी को पांच लाख रूपए की राशि तीन वर्ष के लिए उधार दी गई थी, जबकि वादी के द्वारा वादपत्र सन् 2019 में पेश किया गया है। मियाद अधिनियम के अनुसार वादी को वादपत्र तीन वर्ष की अवधि में पेश किया जाना

चाहिए था। वादी का वाद मियाद बाहर होने के कारण काबिले खारिज योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त विदुषी गर्ग बनाम मैसर्स गौरी सेल्स व अन्य, एस.बी.सिविल प्रथम अपील नंबर–923/2017 दिनांक 21–05–2018 पेश किया।

23– विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान तर्क दिया कि वादी के द्वारा सन् 2014 में प्रतिवादी को पांच लाख रूपए की राशि दी गई थी तथा प्रतिवादी के द्वारा जून 2015 से जून 2017 तक 60,000–60,000/–रूपए प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल 1,80,000/–रूपए अदा कर दिए हैं तथा शेष राशि के लिए समय चाहा है। मियाद की अवधि जून 2017 से प्रारम्भ होगी तथा वादी के द्वारा तीन वर्ष की अवधि में वादपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी का वाद अन्दर मियाद है।

24– प्रतिवादी डी.ड.–1 करूण टांक ने वादी द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि मई 2014 में मेरे पास पांच लाख रूपए उधार देने की आर्थिक क्षमता हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैंने विकास से दिनांक 06–06–2014 को पांच लाख रूपए उधार राशि तीन वर्ष की अवधि हेतु लिए हों तथा उक्त राशि के ब्याज पेटे 60,000–60,000/–रूपए तीन बार विकास को अदा किए हों।

25– प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। **Vidushi Garg V/s M/s Gauri Sales & anr. - S.B. Civil First Appeal No. 923/2017 dt 21.5.18** - Held O-7 R-11 CPC - Plaint rejected Loan was given on 8.2.2013 through cheque & was enchased on 23.2.2013 and suit filed in August-2016. Reading plaint 7 Article-20 of Limitation Act, the suit was barred by limitation.

26– हस्तगत वाद में वादी के द्वारा दिनांक 06–06–2014 को प्रतिवादी को पांच लाख रूपए उधार दिए गए थे, जो कि मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। वादी के द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी के द्वारा जून 2015 से जून 2017 तक प्रतिवर्ष 60,000/–रूपए कुल 1,80,000/–रूपए वादी को ब्याज पेटे अदा कर दिए हैं तथा आश्वासन दिया गया कि अभी रकम का इंतजाम नहीं है, इस कारण कुछ समय बाद अदा करेगा, किन्तु प्रतिवादी द्वारा जून 2017 के उपरान्त वादी को उक्त राशि अथवा उस पर देय ब्याज अदा नहीं की गई। वाद की मियाद जून 2017 से प्रारम्भ होगी तथा धन की राशि की वसूली के संबंध में वाद तीन वर्ष में प्रस्तुत किया जाना है तथा वादी के द्वारा दिनांक 31–08–2019 को वादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी के द्वारा वादपत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रतिवादी इस विवाद्यक को साबित करने में असफल

रहा है। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादी के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–4 ''अनुतोष''

27– चूंकि मुख्य विवाद्यक संख्या–1 वादी के द्वारा अपने पक्ष में साबित किया गया है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किए जाने योग्य है।

– आ दे श –

28– अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है–

(1) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वादी को मूल रकम 5,00,000/–रूपए (पांच लाख रूपए) अदा करें।

(2) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वादी को मूल 5,00,000/–रूपए (पांच लाख रूपए) पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से जून 2017 से जुलाई 2019 तक का ब्याज अदा करे।

(3) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता हैकि वादी को मूल राशि 5,00,000/–रूपए (पांच लाख रूपए) व उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर ब्याज की राशि आदेश की दिनांक से 03 माह की अवधि में अदा करे।

29– खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा नियमानुसार तैयार किया जावे।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
केकड़ी, जिला–अजमेर.

30– निर्णय व आदेश आज दिनांक 11–05–2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN

Steno Gr. I "Authenticate Document"
Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN
Date: 2026.05.12 13:20:29 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
केकड़ी, जिला–अजमेर.

––––––